एक नजर में

फरार कुख्यात अड़ीबाज अवैध चाकू के साथ धराया

इंदौर. भंवरकुआ थाना क्षेत्र के सक्रिय बदमाशों पर नजर रखने के लिए लगाई गई टीम को मुखबिर तंत्र से सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र का कुख्यात बदमाश मिलन नागर कोई वारदात करने की नीयत से जीतनगर में घूम रहा है. सूचना मिलते ही टीम ने मुखबिर के बताए स्थान से आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के पास से चाकू भी बरामद किया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. सहायक पुलिस आयुक्त अनुभाग जूनी इंदौर विजय चौधरी ने बताया कि थाना प्रभारी भंवरकुआ को सक्रिय बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए थे, जिसके तहत गठित पुलिस दल ने तुरंत थाना क्षेत्र के बदमाश मिलन नागर को पकड़ा एवं पूछताछ की, जिसमें मिलन नागर के कब्जे से एक चाकू मिला. 20 वर्षीय कुख्यात बदमाश मिलन नागर पर अवैध वसूली, मारपीट, नकबजनी, झपटमारी जैसे 9 अपराध दर्ज हैं. आरोपी गणेश नगर का रहने वाला है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

विहिप बजरंग दल ने बांग्लादेश का पुतला जलाया

इंदौर. बांग्लादेश के हिंसक और बर्बर इस्लामी जिहाद का मालवा मिल चौराहे पर पुतला दहन किया गया. विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रचार प्रमुख अन्नू गेहलोत ने बताया बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद इस्लामी जिहादी गतिविधियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं और उनके निशाने पर हिंदुओं के मंदिर, व्यावसायिक केंद्र, महिलाएं, संपत्ति, शासकीय कर्मचारी, पत्रकार ही रहते हैं. हिंदू प्रताड़ना की वीभत्स घटनाएं प्रति सप्ताह होती रहती हैं. परंतु गत सप्ताह मेमनसिंह जिले के भालुका में ऐसी घटना हुई है. जिसने पूरी मानवता को लज्जित किया है. एक सामान्य हिंदू श्रमिक दीपू दास पर ईशनिंदा का झूठा आरोप लगाया गया. एक बड़ी भीड़ ने पीट पीट कर उसकी नृशंस हत्या कर दी. यह सारा घटनाक्रम पुलिस प्रशासन की आंखों के सामने हुआ और उन्होंने इसे रोकने की कोई चेष्टा नहीं की. बांग्लादेश का पूरा प्रशासन और समाज हिंसक और बर्बर इस्लामी जिहादी तत्वों के हिंदू विरोधी नंगे नाच पर मौन साधे हुए है. अल्पसंख्यकों के मानवीय अधिकारों का ऐसा खुला हनन किसी भी सभ्य समाज में मानवता के विरुद्ध गंभीर अपराध है. इस घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बद्रीनाथ जिले द्वारा, मालवा मिल चौराहा पर विरोध प्रदर्शन एवं पुतला दहन किया गया. इस पुतला दहन में मुख्य रूप से उपस्थित गन्नी चौकसे, रमेश चौकसे, जयेश मौर्य, अंकित मौर्य, उत्तम वाडिया, आकाश हेडवे ,जितेश राय, मनोज यादव, कृष्ण कोकर ,सुरेंद्र होवाल,अन्नू गेहलोत आदि उपस्थित थे.

बावरा कराओके की संगीतमय प्रस्तुति कल

इंदौर. संगीत प्रेमियों के लिए खुशखबरी है. बावरा कराओके द्वारा अपनी पूर्णत: निशुल्क सातवीं संगीतमय प्रस्तुति का आयोजन 25 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक किया जा रहा है. यह संगीतमय कार्यक्रम श्री दशरथ सेवाश्रम, 54-55 चाणक्यपुरी, बगीचे के सामने, अन्नपूर्णा मंदिर के आगे, इंदौर में आयोजित होगा. कार्यक्रम में कराओके ट्रैक पर कालजयी महान गायक एवं गायिकाओं के सदाबहार गीतों की प्रस्तुतियाँ उभरते हुए नए गायक कलाकारों द्वारा दी जाएंगी. इस अवसर पर दशरथ सेवाश्रम परिवार के वरिष्ठ सम्माननीय सदस्य एवं बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी श्रोता उपस्थित रहेंगे.

कलेक्टर कार्यालय पर किसानों का प्रदर्शन आज

इंदौर. प्रदेश सरकार द्वारा भावांतर योजना के अंतर्गत किसानों को दी जाने वाली राशि अब तक खातों में जमा नहीं की गई है. सरकार द्वारा 15 दिनों में भुगतान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद न तो वर्तमान और न ही पूर्व की भावांतर योजना की लंबित राशि का भुगतान हुआ है. इन्हीं मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता रामस्वरूप मंत्री, बबलू जाधव, चंदनसिंह बड़वाया और शैलेंद्र पटेल के नेतृत्व में 24 दिसंबर को कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जाएगा. किसानों ने मांग की है कि भावांतर की लंबित राशि तत्काल खातों में डाली जाए, अन्यथा आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा.

उत्तर पूर्वी राज्यों का शिल्प लाल बाग पर

इंदौर. लालबाग आज से लोक शिल्प के साथ सजने लगा है इस बार कुछ खास लेकर मन को मोहने जनता के समक्ष उत्तर पूर्व के 8 राज्यों के शिल्पकार लाल बाग पर अपनी लोक कलाकृति दिखाने के लिए एवं विक्रय के लिए है अपने-अपने स्टालों कलाकृतियों को जमाने में लगे हुए हैं. दक्षिण मध्यवर्ती सांस्कृतिक केंद्र नागपुर भारत सरकार की निदेशक आस्था गोडबोले कार्लेकर एवं लोक संस्कृति मंच के संयोजक एवं सांसद शंकर लालवानी में बताया कि संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस उत्सव में आकर्षक रूप से सजी हुई इन स्टालो पर कलाकृतियां सज रही है. वाटर लेक पौधे से बने बड़े-बड़े थैले पर्स, पाट मणिपुर के कलाकार यहां लेकर आए हैं जिन पर बेहद खूबसूरत एंब्रॉयडरी वर्क किया गया है और इन्हें बनाने में 15 से 20 दिन लगते हैं हर तीन महीने में धोने से इसकी मजबूती बढ़ती है और उनकी उम्र लगभग 10 साल तक रहती है वही बांस के विभिन्न हैंडबैग चप्पल पर्स लेकर आए कलाकार बताते हैं कि बांस को 3 महीने पानी में डुबोकर नरम करके उन्हें आर्टिकल का रूप देना पड़ता है इन आर्टिकल को शीतल पाट के नाम से जाना जाता है. ऐसे सैकडो लोक शिल्प यहां पर विक्रय के लिए आए हैं जिन्हें कला प्रेमी आसानी से खरीदी कर सकते हैं. प्रवेश निशुल्क है शाम 4 बजे से शुरू होकर मेला देर रात तक जारी रहेगा. सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां 25 दिसंबर से उत्तर पूर्वी राज्यो कलाकार देंगे.

स्कूटी से अल्प्राजोलम की 590 टैबलेट ले जा रहा तस्कर धराया

जब्त की गई टेबलेट की कीमत 61 हजार 700 रुपए

खजराना थाना पुलिस ने की कार्रवाई

नव भारत न्यूज

इंदौर. खजराना पुलिस ने अल्प्राजोलम टैबलेट की तस्करी में लिप्त एक युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से सैकड़ों नशीली गोलियां और एक स्कूटी जब्त की गई है. पुलिस आरोपी से नशे की सप्लाई चेन और नेटवर्क को लेकर पूछताछ कर रही है.

थाना प्रभारी मनोज सिंह सेंधव ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोकथाम के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए थे. जिसके तहत एक टीम गठित कर लगातार गोपनीय सूचना संकलन किया जा रहा था. इसी दौरान खजराना क्षेत्र में बड़े मदरसे के सामने तलाई के पास एक संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर घबराकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया. तलाशी के दौरान आरोपी के पास से प्रतिबंधित नशे की 590 अल्प्राजोलम टैबलेट बरामद हुई.पुलिस ने आरोपी जिस स्कूटी से ये टेबलेट ले जा रहा था, उसे भी जब्त कर लिया है. जब्त माल की कीमत करीब 61 हजार 700 रुपए आंकी गई है.

पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह स्वयं नशे का आदी है और अपनी लत पूरी करने के लिए सस्ते दामों पर गोलियां खरीदकर अन्य नशेड़ियों को महंगे दामों पर बेचता था. आरोपी नशीली टैबलेट टोंक (राजस्थान) स्थित अपने ससुराल से लाकर इंदौर में सप्लाई करता था. त्र खजराना के नाम से...

अन्य साथियों से पूछताछ की जा रही

आरोपी ने अपना नाम सादान पिता वाहिद लाहौरी, उम्र 29 वर्ष, निवासी खजरानी काकड़ इंदौर बताया है. वह 12वीं तक शिक्षित है और पेंटिंग का काम करता है. खजराना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है. आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर नशे के स्रोत और अन्य साथियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है.

ज्वेलरी शॉप से लाखों की चोरी मामले में पुलिस तीन दिन बाद भी खाली हाथ

सीसीटीवी व रूट मैप के सहारे आरोपियों की तलाश

नव भारत न्यूज

इंदौर. राऊ थाना क्षेत्र में शनिवार-रविवार की दरमियानी रात एक ज्वेलरी दुकान से लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवरात चोरी होने के मामले में पुलिस तीन दिन बाद भी खाली हाथ है. बहरहाल, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही आरोपियों के फरार होने के रूट मैप पर काम शुरू कर दिया है.राऊ थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर ने बताया कि क्षेत्र के सिलिकॉन सिटी स्थित श्री ज्वेलर्स में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात चोरी की वारदात हुई. अज्ञात बदमाश दुकान के ताले तोड़कर अंदर घुसे और वहां रखे सोने-चांदी के जेवरात समेटकर फरार हो गए. चोरी गए माल की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है. दुकान संचालक देवेंद्र सोनी जब सुबह दुकान पहुंचे, तब ताले टूटे देख वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई.

सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे कुछ संदिग्ध

एसीपी निधि सक्सेना का कहना है कि घटना के तुरंत बाद एफएसएल टीम को बुलाकर मौके से फिंगरप्रिंट्स सहित अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाए हैं. दुकान और आसपास की कॉलोनियों तथा प्रमुख मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जब्त किए हैं, जिनमें कुछ संदिग्ध नजर आए हैं. पुलिस आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए गए रास्तों का रूट मैप तैयार कर रही है.

बुजुर्ग लक्ष्मीनारायण का नि :शुल्क इलाज

जनसुनवाई में कलेक्टर की संवेदनशीलता पुन : आई सामने

इंदौर. कलेक्टर कार्यालय इंदौर में प्रति मंगलवार आयोजित होने वाली जनसुनवाई में एक बार फिर मानवीय संवेदना का उदाहरण देखने को मिला. जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर शिवम वर्मा ने आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया.

इसी जनसुनवाई में उपस्थित एक बुजुर्ग लक्ष्मी नारायण की दयनीय स्थिति देखकर कलेक्टर श्री वर्मा की संवेदनशीलता पुन: सामने आई. बुजुर्ग की पत्नी श्रीमती प्रेम बाई ने बताया कि लक्ष्मी नारायण को कुछ समय पूर्व कुत्ते ने काट लिया था, लेकिन समुचित उपचार न मिलने के कारण उनके पैर में गंभीर संक्रमण और असहनीय पीड़ा हो रही थी. कलेक्टर ने बुजुर्ग की हालत को देखते हुए बिना विलंब कलेक्टर कार्यालय से ही एंबुलेंस के माध्यम से उन्हें अस्पताल भिजवाने के निर्देश दिए. अस्पताल में चिकित्सकीय उपचार के साथ-साथ मानवीय सहयोग की

भी मिसाल देखने को मिली. समाजसेवी जयू जोशी एवं अन्य समाजसेवियों द्वारा बुजुर्ग को स्नान कराया गया, दाढ़ी कटिंग करवाई गई तथा उन्हें नए कपड़े पहनाए गए, बुजुर्ग लक्ष्मी नारायण को अस्पताल में भर्ती कर नि:शुल्क उपचार प्रदान किया जा रहा है. कलेक्टर शिवम वर्मा की इस पहल ने न केवल एक जरूरतमंद बुजुर्ग को राहत दी, बल्कि जनसुनवाई को संवेदनशील और जनहितैषी प्रशासन का सशक्त उदाहरण भी बना दिया.

गृह निर्माण संस्था के पूर्व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पर एफआईआर

- **फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपात्र लोगों को दे दिए थे प्लॉट**
- **ईओडब्ल्यू ने संस्था की जांच उपरांत दर्ज किया प्रकरण**

नव भारत न्यूज

इंदौर. राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) इंदौर ने डाक कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित के तत्कालीन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित तीन आरोपियों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाकर अपात्र लोगों को भूखंड बेचने के मामले में एफआईआर दर्ज की है. वहीं ईओडब्ल्यू ने उत्कर्ष पैराडाइज कॉलोनी में बहुमंजिला इमारत बनाकर करोड़ों की धोखाधड़ी करने के मामले में एएम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, अलमोइन देवकॉन प्राइवेट लिमिटेड और जेएसआर रियलिटी के खिलाफ भी केस दर्ज किया है.

ईओडब्ल्यू डीएसपी केएल दांगी ने बताया कि संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकांत घंटे निवासी चंद्रलोक कॉलोनी और उपाध्यक्ष सुभाष दुबे निवासी संचार नगर ने पद का दुरूपयोग कर गैर सदस्यों और अपने परिवार के लोगों को फर्जी तरीके से भूखंड आवंटित किए. शिकायत की जांच में पाया गया कि श्रीकांत घंटे ने सलीम पिता बली मोहम्मद निवासी वैभव नगर कनाड़िया रोड को सदस्य नहीं होने पर भी 1500, 750 और 3509 वर्गफीट के भूखंड आवंटित कर दिए. वहीं, उपाध्यक्ष सुभाष दुबे ने अपनी पत्नी, बड़े भाई और पिता के नाम भी भूखंड रजिस्ट्री कराया. ईओडब्ल्यू ने आरोपियों श्रीकांत घंटे, सुभाष दुबे, सलीम एवं अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और पद का दुरुपयोग करने सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है.

उत्कर्ष पैराडाइज कॉलोनी में करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में भी एफआईआर

डीएसपी केएल दांगी ने बताया कि ईओडब्ल्यू ने एक अन्य मामले- उत्कर्ष पैराडाइज कॉलोनी में बहुमंजिला इमारत बनाकर करोड़ों की धोखाधड़ी करने के आरोप में एएम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, अलमोइन देवकॉन प्राइवेट लिमिटेड और जेएसआर रियलिटी के खिलाफ केस दर्ज किया है. आरोपियों ने भूस्वामी और फ्लैट मालिकों के साथ मिलकर 3 .12 करोड़ से अधिक की ठगी की. आरोपियों में एएम बिल्डर्स के साजिद शेख, अलमोइन देवकॉन के मोहम्मद राशिद शेख और जेएसआर रियलिटी के मोहम्मद जावेद शेख शामिल हैं. सभी आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

10 घंटे में हत्या के चार आरोपियों को दबोचा

प्रेमिका को कमेंट करने पर चाकू से की थी युवक की हत्या

कार से खाटू श्याम जाने की फिराक में थे आरोपी

नव भारत न्यूज

इंदौर. अन्नपूर्णा पुलिस ने मात्र 10 घंटे में फूटी कोठी चौराहे के पास चाकू मारकर युवक की हत्या करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. आरोपियों ने एक युवक की प्रेमिका पर कमेंट करने की बात को लेकर हुए विवाद के बाद युवक की हत्या कर दी थी.सहायक पुलिस आयुक्त शिवेन्दु जोशी ने बताया कि थाना अन्नपूर्णा क्षेत्र में मंगलवार की दोपहर सूचना मिली थी कि हवा बंगला मार्ग स्थित सांची मिल्क पॉइंट के सामने चाकूबाजी हुई है.

गांधी चौक, द्वारकापुरी निवासी 25 वर्षीय यश भाण्ड उर्फ गोलू पिता प्रदीप भाण्ड को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल भेजा था, जहां उसकी मौत हो गई. थाना प्रभारी अन्नपूर्णा और द्वारकापुरी ने रात के समय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की जानकारी दी. मौके पर मौजूद साक्षी विक्रम ठाकुर ने पुलिस को बताया कि हत्या चार आरोपियों रोहित चौहान चंदन नगर, प्रियांशू साहू द्वारकापुरी, ईश्वर ठाकुर गुरूशंकर नगर और चारू ठाकुर गांधी चौक, द्वारकापुरी ने की. घटना चारू ठाकुर को कमेंट करने पर हुई. हत्या के बाद चारों आरोपी सफेद कार नम्बर एमपी 09 डीएक्स 0196 से खाटू श्याम भागने की फिराक में थे. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर आरोपियों को घेराबंदी कर हिंगोरिया से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस द्वारा चारों आरोपियों के खिलाफ अन्नपूर्णा थाने में कार्रवाई की जा रही है.

जनसुनवाई : पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे 65 फरियादी

सभी को तुरंत कार्रवाई का मिला आश्वासन

नव भारत न्यूज

इंदौर. प्रति मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई में इस मंगलवार को पुलिस कमिश्नर के सामने 65 फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे. जनसुनवाई के दौरान पारिवारिक विवाद, आपसी झगड़े, पैसों के लेनदेन, थानों में सुनवाई न होने, प्लॉट-जमीन की धोखाधड़ी और महिला अपराध से जुड़े मामलों को लेकर लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं. पुलिस कमिश्नर ने सभी शिकायतें सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए.प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई कमिश्नर कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें फरियादियों ने पुलिस से जुड़ी अलग अलग समस्याएं रखीं, जिन पर पुलिस कमिश्नर ने गंभीरता दिखाते हुए मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जिन मामलों में तुरंत हस्तक्षेप जरूरी है, उनमें प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही फरियादियों को आश्वस्त किया कि शिकायतों का समय पर और निष्पक्ष निराकरण किया जाएगा. जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) अमित सिंह सहित सभी जोन के अधिकारी मौजूद रहे. अधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर के निर्देशानुसार फरियादियों की समस्याएं सुनकर आगे की कार्रवाई शुरू की.

एक नजर में | **मप्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हुआ है चयन, शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में स्वागत समारोह आयोजित**

चयनित अभ्यर्थियों ने बताए सफलता के मंत्र

इंदौर. मप्र लोक सेवा आयोग 2023 की परीक्षा में अंतिम चयनित 25 अभ्यार्थियों का विभिन्न अधिकारी पदों पर चयन होने पर शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इन अधिकारियों में 2 उप जिलाध्यक्ष, 3 उप पुलिस अधीक्षक तथा विभिन्न पदों पर चयनित अधिकारी सम्मिलित है. सम्मान समारोह कार्यक्रम संभागीय उपायुक्त बृजेश पाण्डेय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ. समारोह में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ कॉमर्स के विभाग प्रमुख सुरेश पाटीदार तथा अतिथि प्राध्यापक उपस्थित थे.

समारोह में संभागीय उपायुक्त द्वारा संस्था से 25 अभ्यर्थियों के चयन पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई तथा अपने उद्बोधन में प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों के लिए सफलता का गुरुमंत्र पुनरावृति को बताया. कडी मेहनत, लगन और ईमानदारी से पढाई करते हुए अपना लक्ष्य हासिल करने हेतु प्रेरित किया. संस्थान में आये 2023 के चयनित अधिकारियों को सभागीय उपायुक्त द्वारा पीईटीसी का स्मृति चिह भेंट किये गये. कार्यक्रम में चयनित अधिकारियों ने अपने चयन होने तक के अनुभव साझा किए. उप जिलाध्यक्ष के पद पर चयनित कृष्णपाल सिंह बघेल ने बताया कि निरंतर टेस्ट सीरिज हल करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इससे आत्म विश्वास में वृद्धि होगी. सुश्री पूजा (उप पुलिस अधीक्षक) ने बताया कि समस्याएँ साथ-साथ चलती है पर उनको दरकिनार कर अपने लक्ष्य को केन्द्रित करना चाहिए. अन्य चयनित अभ्यार्थियों द्वारा भी अपने अनुभव साझा किए.

कर्तव्यों के लिए पूर्ण निष्ठा से तैयार रहें

संस्थान की सहायक आयुक्त/प्राचार्य आशा चौहान द्वारा सभी चयनित अधिकारियों को बधाई देते हुए उनके जीवन में आने वाले कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा से निभाने के लिए तैयार रहने और उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ संस्थान में उपस्थित सभी का आभार व्यक्त किया गया. संचालन संस्थान के पूर्व विद्यार्थी श्री कमलेश द्वारा किया गया.

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आज

इंदौर. प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसम्बर को मनाया जायेगा. जिला स्तरीय कार्यक्रम कलेक्ट्रेट सभागृह में दोपहर 3 बजे से आयोजित होगा, जिसमें उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे. अध्यक्षता कलेक्टर शिवम वर्मा करेंगे.

कार्यालय नायब तहसीलदार वृत्त-बरमण्डल टप्पा कार्यालय लाबरिया तहसील- सरदारपुर जिला-धार

क्रमांक/रीडर-2/1578/2025 लाबरिया दिनांक 22/12/2025

विज्ञप्ति

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। आवेदक **महेश पिता बजरंगलालजी शर्मा जाति ब्रहाम्ण निवासी- 28, ओल्ड राजमोहल्ला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम- राजोद स्थित भूमि खसरा सर्वे क्रमांक 105 रकबा 7.002 हेक्टर भूमि उसके पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से प्राप्त की है।** उक्त भूमि पर स्वयं का नामान्तरण किये जाने हेतु मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह मेरे न्यायालय में स्वयं या मार्फत अभिभाषक के उपस्थित होकर **7 दिवस** के अन्तर्गत आपत्ति पेश कर सकते है। नियत अवधि पश्चात प्राप्त आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा। **आज दिनांक 22/12/2025** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
वृत्त-बरमण्डल तहसील - सरदारपुर

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

(CIN-L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031

फोन : +91 44 4564 4000, फैक्स : +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
1.	124747247	संपत्ति पर ऋण	04.12.2025	रु.7,74,874.83/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम :- 1. देवी सिंह 2. राम्सभाबाई यादव

संपत्ति का पता : प्रॉपर्टी का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा जिसका प्लॉट एरिया 1950 वर्ग फुट है, जो गांव- पोलाय जागीर, पी.एच. नंबर 51, तहसील- सोनकच्छ, जिला- देवास, मध्य प्रदेश-455118 में स्थित है, और जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं- पूर्व- आम रास्ता, पश्चिम- आम रास्ता, उत्तर- चतर सिंह, दक्षिण- चेतन पुत्र विक्रम सिंह

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
2	119006217 और 41044393	होम लोन	10.12.2025	रु.3,83,941.19/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम :- 1. कृपापाल गहलोत 2. रीना बाई गहलोत

संपत्ति का पता : प्रॉपर्टी का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा, अचल संपत्ति (आवासीय मकान) जिसका माप 900 वर्ग फुट (83.64 वर्ग मीटर) है, जो प्लॉट/मकान नंबर 61 में शामिल है, जो गांव- मालिकखेड़ी, पी.एच. नंबर 14 में स्थित है, सर्वे नंबर 405, तहसील- गुलाणा, जिला शाजापुर, मप्र राज्य- 465001, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं- (पट्टे के अनुसार)- पूर्व- आम रास्ता, पश्चिम- राम सिंह की ज़मीन, उत्तर- बाबूलाल का घर, दक्षिण- गली.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
3.	10049669914	होम लोन	10.12.2025	रु.41,83,111.00/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम :- 1. नेहा जैन 2. राहुल जैन

संपत्ति का पता : फ्लैट नंबर 103 का पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसका क्षेत्रफल 1055 वर्ग फुट है (सुपर बिल्ट-अप एरिया), कंचन विहार की पहली मंजिल पर, प्लॉट नंबर 2,3,4,5,45,46 और 47, कंचनबाग कॉलोनी, तहसील और जिला- इंदौर, मध्य प्रदेश-452001 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व- फ्लैट नंबर 102, पश्चिम- फ्लैट नंबर 104, उत्तर- कंचनबाग मुख्य सड़क, दक्षिण- पार्किंग.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
4.	118483318	संपत्ति पर ऋण	06.12.2025	रु.5,05,900.77/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम :- 1. राधेश्याम सिंह 2. सुनीता बाई

संपत्ति का पता : मकान नंबर 83 का पूरा टुकड़ा और पार्सल, कुल प्लॉट एरिया 1800 वर्ग फुट, पीएच नं. 75, गांव जलोदिया, तहसील- देवास, मध्य प्रदेश, और उक्त संपत्ति इस प्रकार से घिरी हुई है- उत्तर- स्थानीय सड़क, दक्षिण- गली सड़क, पूर्व- रूप सिंह की ज़मीन, पश्चिम- बाबू सिंह का घर.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
5.	103839743	होम लोन	06.12.2025	रु. 5,62,550.71/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम :- 1. राजेंद्र गुर्जर 2. सोना गुर्जर

संपत्ति का पता : संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जो पीएच नंबर 36, सर्वे नंबर 722 पर स्थित है, जिसका माप 800 वर्ग फुट है, गांव देवगुराडिया, तहसील टोंकखुर्द, देवास, मध्य प्रदेश, और उक्त संपत्ति इस प्रकार से घिरी हुई है- उत्तर- मेहरवान सिंह का घर, दक्षिण- कुलदीप का घर, पूर्व- रास्ता, पश्चिम- रास्ता.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
6.	140903885	संपत्ति पर ऋण	16.12.2025	रु.1,46,47,231.14/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम :- 1. नेगी बैटरी 2. इंदु नेगी 3. ललित नेगी

संपत्ति का पता : मकान नंबर CH-53 का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसका प्लॉट एरिया 2001 वर्ग फुट है,जो डिवॉल्ड रेजिडेंशियल कॉलोनी जूनियर H.I.G. सुखलिया, गांव सुखलिया, इंदौर, मध्य प्रदेश-452010 में स्थित है, और जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं- पूर्व- सीनियर M.I.G., पश्चिम- M.R. 10, उत्तर- हाउस नंबर CH-52 जूनियर H.I.G., दक्षिण- हाउस नंबर CH-54 जूनियर H.I.G.

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी /-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

दिनांक : 24.12.2025
स्थान : मध्यप्रदेश